भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1945

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

1945. श्री मनीश तिवारीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ में महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और निःशक्तजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) चंडीगढ़ में महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और निःशक्तजन श्रेणियों में प्रत्येक लाभार्थी को योजनावार कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है;

(ग) पंजाब और हरियाणा राज्यों में महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और निःशक्तजनों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली प्रति लाभार्थी पेंशन राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि में पिछली बार कब संशोधन किया गया था;

(ङ) क्या केंद्र सरकार को पेंशन राशि में वृद्धि के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का क्रियान्वयन करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हमारे समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, चाहे लाभार्थियों की श्रेणी कुछ भी हो। कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले तथा एनएसएपी दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में 200 रुपये

500 रुपये प्रतिमाह तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा ऐसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

<u>संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में एनएसएपी योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:</u>

योजना	**लाभार्थियों की संख्या**
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	2,378
राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (एनडब्ल्यूपीएस)	2,486
राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (एनडीपीएस)	100
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	80
अन्नपूर्णा	440
कुल	**5,484**

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

I. समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन

योजना	**लाभार्थी (जनवरी, 2025 तक)**
वृद्धावस्था पेंशन	18,648
विधवा पेंशन	11,836
दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन	5,992

II. श्रम विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अधीन चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

योजना	**लाभार्थी (फरवरी, 2025 तक)**
वृद्धावस्था पेंशन	251
विधवा पेंशन	92
दिव्यांगता पेंशन	3

(ख): एनएसएपी एक 100% वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित पाँच योजनाएँ शामिल हैं:

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की सहायता। वर्तमान में, 221 लाख से अधिक लाभार्थी इसके दायरे में हैं।

- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - 40-79 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह की सहायता। वर्तमान में, 67 लाख से अधिक लाभार्थी इसके दायरे में हैं।

- राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना - गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की सहायता। वर्तमान में, 8.8 लाख से अधिक लाभार्थी इसके दायरे में हैं।

- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना - 18 से 59 वर्ष की आयु के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु पर 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता। यह मांग आधारित योजना है। परिवारों की ऊपरी सीमा 3.58 लाख है।

- अन्नपूर्णा योजना - उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाएगा, जो पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 8.32 लाख है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा तीन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किए जा रहे टॉप-अप का विवरण (रुपये में)

(रु. में)

राज्य	एनओएपीएस						एनडब्ल्यूपीएस			एनडीपीएस		
	60-79 वर्ष			80 वर्ष और उससे अधिक								
	केंद्र सरकार	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल
चंडीगढ़	200	1000	1200	500	1000	1500	300	1000	1300	300	1000	1300

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली योजना-वार पेंशन निम्नानुसार है:

I. **समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन**

योजना	वित्तीय सहायता
वृद्धावस्था पेंशन	1000 रुपये प्रति माह
विधवा पेंशन	1000 रुपये प्रति माह
दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन (दिव्यांगता 40% से 70%)	1000 रुपये प्रति माह
दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन (70% से अधिक दिव्यांगता)	2000 रुपये प्रति माह

II. **श्रम विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अधीन चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड**

योजना	वित्तीय सहायता
वृद्धावस्था पेंशन	2000 रुपये
विधवा पेंशन	2000 रुपये
दिव्यांगता पेंशन	2000 रुपये

(ग): एनएसएपी के तहत पेंशन की राशि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान है। वर्तमान में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी 50 रुपये से लेकर 3716 रुपये प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में औसत मासिक पेंशन लगभग 1,000/- रुपए है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हरियाणा और पंजाब राज्य द्वारा तीन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किए जा रहे टॉप-अप का विवरण (रुपये में) नीचे दिया गया है:

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एनओएपीएस						एनडब्ल्यूपीएस			एनडीपीएस		
		60-79 वर्ष			80 वर्ष और उससे अधिक								
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	कुल
1	हरियाणा	200	2800	3000	500	2500	3000	300	2700	3000	300	2700	3000
2	पंजाब	200	1500	1700	500	1500	2000	300	1500	1800	300	1500	1800

पंजाब राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	योजना	लाभार्थियों की संख्या	बजट (रुपये करोड़ में)	व्यय (रुपये करोड़ में)
1	वृद्धावस्था पेंशन पुरुष - 65 वर्ष और उससे अधिक महिला - 58 वर्ष और उससे अधिक राजस्व विभाग (पटवारी) की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के पास अधिकतम 2.5 एकड़ नहरी/चहल भूमि या अधिकतम 5 एकड़ बारानी भूमि तथा जलभराव वाले क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि (पति-पत्नी सहित) हो, वह भी पेंशन के लिए पात्र है। वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	22,64,518	4,000.00	3,708.57
2	विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता विधवा और निराश्रित, अविवाहित महिलाओं के लिए 30 वर्ष से अधिक तथा 58 वर्ष से कम आयु की वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	64,7748	1,086.00	1,042.63
3	दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दृष्टिबाधित, दिव्यांग, मूक-बधिर और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं और कम से कम 50% दिव्यांग हैं, वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	2,71,278	461.50	437.15

हरियाणा राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	योजना का नाम	रु. प्रति माह
1	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	3,000
2	दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	3,000
3	पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए गौरव सम्मान योजना	10,000
4	दिव्यांगता पेंशन	3,000
5	नाटे व्यक्तियों को भत्ता	3,000
6	विधवा पेंशन	3,000
7	विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	3,000
8	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	एक बच्चे के लिए 2,100 और दो बच्चों के लिए 4,200
9	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता	3,000
10	कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता	प्रति व्यक्ति अधिकतम 1,500 रुपये। परिवार में पांच लोगों के लिए 7,500 रुपये
11	स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता	2,400
12	उभयलिंगी व्यक्तियों को भत्ता	3,000
13	एसिड अटैक पीड़ितों में महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता	यदि दिव्यांगता प्रतिशत के अनुसार :- क) 40% - 50% - दिव्यांगता पेंशन का 2.5 गुना। ख) 51%-60% - दिव्यांगता पेंशन का 3.5 गुना। ग) 61% और अधिक - दिव्यांगता पेंशन का 4.5 गुना।
14	एसिड अटैक पीड़ितों में पुरुषों और ट्रांसजेंडर को वित्तीय सहायता	
15	चरण III और चरण IV कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता	3,000

(घ) से (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि पेंशन योजनाओं में बदलाव/संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	बदलाव/संशोधन का विवरण
2007	वृद्धावस्था पेंशन 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई।
2009	विधवा एवं दिव्यांगता पेंशन योजनाएं 200 रुपये प्रतिमाह शुरू की गईं।
2011	80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई।
2012	विधवा पेंशन और दिव्यांग्ता पेंशन को 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लाभार्थियों के लिए अंतिम संशोधित पेंशन राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

I. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन की दरों को वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।

II. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के श्रम विभाग के तहत चंडीगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन की दरों को 08.12.2017 को संशोधित किया गया था

(च): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि एनएसएपी के तहत सहायता की कवरेज/दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****